राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 1618–दो/10 जिला –मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.09.2015	आवेदक की ओर से श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह अब इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2010 R-1618-II/2010

शांतीलाल अग्रवाल एडवोकेट पुत्र श्री मानपाल जाति–वैश्य, निवासी–कस्वा, जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना (म.प्र.)

——आवेदक

बनाम

1. हरिओम सिंघल पुत्र श्री राजाराम सिंघल
2. श्रीमती रामा सिंघल पत्नी श्री हरिओम सिंघल, दोनो जाति–वेश्य, निवासीगण–पुरानी सब्जी मण्डी वार्ड क्रमांक–5, परगना जौरा, जिला मुरैना (म.प्र..)

——अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक–94/09–10 निगरानी में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 26/08/10 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 कीधारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1 यह कि, आवेदक ने अपने भूमि स्वामी, स्वत्व एवं आधिपत्य की खाली भूमि प्लॉट स्थित कस्वा जौरा वार्ड क्रमांक–3 एम.एस. रोड, जौरा पर स्थित जिसका नगर पंचायत जौरा में भवन क्रमांक–253 का अंश भाग है, यह भूमि जिसका क्षेत्रफल 148.69 वर्गमीटर है, अनावेदक को पंजीयत विक्रय–पत्र दिनांक 26/03/04 मय नक्शा विक्रय की थी।

2. यह कि, विक्रय–पत्र अनुसार अनावेदक क्रेता द्वारा नगर पंचायत जौरा में अपना नामांतरण करा लिया था।

3. यह कि, अनावेदक द्वारा कपटपूर्वक विक्रय–पत्र में काटापीटी कर एवं कुछ लाईनें बढ़ाकर ग्राम आलमपुर के सर्वे क्रमांक–300 का अंशभाग है, बढ़ा लिया गया। जबकि विक्रय–पत्र के अंत में यह स्पष्ट नोट लगा हुआ है कि "विक्रय–पत्र में काटपीट नही हैं"।

4. यह कि, अनावेदक द्वारा विक्रय–पत्र में काटपीट कर तहसील न्यायालय जौरा, के समक्ष नामांतरण हेतु विक्रय–पत्र दिनांक 26/03/04 के लगभग 5 वर्ष पशचत् नामांतरण हेतु आवेदन किया जिसके सूचना–पत्र पर आवेदक को यह जानकारी होने पर कि, विक्रय–पत्र में काटपीट की गई है, इस आवेदक द्वारा आपत्ति की गई कि जिस भूमि पर नामांतरण चाहा गया है वह भूमि विक्रय नहीं की गई है, विक्रय–पत्र में काटपीट की गई है ऐसे विक्रय–पत्र के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि, विद्वान तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की सारवान आपत्ति जो मामले की जड़ तक जाती है, उस पर विचार किये बिना आवेदक की आपत्ति मात्र इस आधार पर आदेश दिनांक 07/11/09 द्वारा खारिज कर दी गई कि रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को सिविल न्यायालय में आक्षेपित किया जाना चाहिये।

6. यह कि, इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलैक्टर महोद्य के समक्ष पुनरीक्षण किया गयसा जो आदेश दिनांक 03/07/2010 द्वारा खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त महोद्य के समक्ष पुनरीक्षण किया गया। अपर आयुक्त महोद्य द्वारा भी प्रकरण का अभिलेख बुलाये बिना, अभिलेख, विक्रय–पत्र एवं आवेदक की आपत्तियों का परीक्षण किये बिना आदेश दिनांक 26/08/10 द्वारा पुनरीक्षण खारित किया गया। अतएव इसी से व्यथीत होकर उपर्युक्त के साथ–साथ निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत हैः–

पुनरीक्षण के आधारः–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश कि, राजस्व न्यायालयों को विक्रय–पत्र की वैधतता को आक्षेपित करने के लिये सिविल न्यायालय में जाना चाहिये। यह निष्कर्ष नितांत अवैध और अनुचित है। राजस्व न्यायालयों को यह परीक्षण करने की अधिकारिता है कि जिस भूमि पर नामातंरण चाहा गया है वह विक्रय की गई है या नहीं। इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी विचार नहीं किया गया।

3. यह कि, विक्रय–पत्र से ही प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उसमें काटपीट कर कूटरचना की गई ऐसे कूटरचित विक्रय–पत्र पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी विचार नहीं किया गया।

4. यह कि, विद्वान अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालय अपर आयुक्त महोदय का निष्कर्ष की अभी नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है एवं साक्ष्य आदि द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाना है, यह निष्कर्ष नितांत अवैध और अनुचित है जब आवेदक की आपत्ति ही निरस्त कर दी गई है एवं कूटरचित विक्रय–पत्र के विषय में विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निष्कर्ष दिया गया है तब ऐसी स्थिति में साक्ष्य प्रति साक्ष्य का आवेदक को अवसर ही नहीं रहता है।

5. यह कि, विद्वान अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विक्रय–पत्र के विषय में अंतिम निष्कर्ष दिया जा चुका है तब आवेदक को साक्ष्य का कोई अवसर ही शेष नही रहता है एवं विचारण न्यायालय का आदेश आवेदक के विरूद्ध पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित होगा।

6. यह कि, विद्वान विचारण न्ययालय को आवेदक की आपत्तियों एवं अनावेदक के नामांतरण आवेदन पर दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं प्रतिसाक्ष्य का अवसर प्रदान कर एवं उसका सम्यक विवेचन करने के पश्चात् ही कोई अंतिम निष्कर्ष दिया जा सकता था अन्यथ नहीं। इस विधिक बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा विचार न कर वैधानिक त्रुटि की गई है।

7. यह कि, अन्य आपत्तियां तर्कों के समय मौखिक रूप से निवेदन की जाएंगी।

अतएव निवेदन है कि, पुनरीक्षण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जायें एवं प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि अनावेदकगण के नामांतरण आवेदन एवं वर्तमान आवेदक शांतीलाल अग्रवाल की आपत्तियों पर दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं प्रतिसाक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण किया जाये।

दिनांक 22/11/2010
स्थान–ग्वालियर

निवेदक
शांतीलाल अग्रवाल एडवोकेट
———**आवेदक**
द्वारा अभिभाषक

आर.डी. शर्मा
एडवोकेट